

06.09.2024 पत्रवाली पेश हुई।

प्राथमिक एवं अधिवक्ता प्राथमिक अनुसूचित।
रुक-रुक कर तीन बार आव्रज लगवाई
गई, आव्रज इसके कोई अस्मृत नहीं।
इसके प्रति धेरा है कि प्राथमिक एवं
आधिवक्ता प्राथमिक रूपसे प्राथमिक मात्र को
लेकर जम्माई नहीं है अतः प्राथमिक मात्र
अदम खाजिरी अदम पैदा इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है

पत्रवाली कुंसा ल शुभल
लेकर नम्बर से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

